# कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

# निविदा

# 2016–2017

**श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु ई–निविदा फार्म**

**(प्रथम आमंत्रण)**

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक–11/2016–17

## <u>ONLINE TENDER SCHEDULE</u>

<u>ई–निविदा विज्ञप्ति क्र. 11/2016–17</u>

| SEQ NO | SCHEDULE | START DATE & TIME | EXPIRY DATE & TIME | ENVELOPES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURCHASE OF TENDER ONLINE | 07-11-2016 10:30 AM | 28-11-2016 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 2 | BID SUBMISSION ONLINE | 07-11-2016 10:30 AM | 28-11-2016 5.00 PM | |
| 3 | PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT | 07-11-2016 10:30 AM | 02-12-2016 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 4 | MANDATORY SUBMISSION OPEN | 07-12-2016 12.00 PM | – | ENVELOPE A |
| 5 | TECHNICAL PROPOSAL OPEN | 07-12-2016 12.00 PM | – | ENVELOPE B |
| 6 | FINANCIAL BID OPEN | पृथक से सूचित किया जावेगा। | – | |

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 02.12.2016 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते है। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

**ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104**

**संपर्कः– 07662–242104,+91–9179705483,+91–9074466110**

### <u>निविदा प्रस्तुत करनें संबधी सामान्य निर्देशः–</u>

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप मे 02 सील्ड लिफाफे **ए एवं बी** एक बड़े आउटर
2. लिफाफे **सी** में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

### <u>लिफाफा ए मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–</u>

1. धरोहर राशि रूपये **2,50,000/–(दो लाख पचास हजार मात्र)** का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**लिफाफा बी मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—**

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. श्रम विभाग द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड बॉय (श्रमिक) संबंधी कार्य का उल्लेख हो।
3. कम से कम 100 बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय में 03 वर्ष वार्ड बॉय (श्रमिक) का कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति। अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु कार्य आदेश की सत्यापित प्रति लगाई जावे।
4. वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 (एसेसमेंन्ट ईयर 15—16 एवं 16—17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ—पत्र।
6. 100 रू. के नान—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
7. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
8. ईपीएफ पंजीयन की छायाप्रति।
9. ई.एस.आई पंजीयन की छायाप्रति।
10. संस्था का वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 25.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2015—16)

## श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु ई—निविदा फार्म नियम एवं शर्ते

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु ई—निविदा फार्म आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in पर आनलाईन आवेदन एवं भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 2,50,000/— (दो लाख पचास हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नही होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करनें के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफट पर निविदाकार को ब्याज देय नही होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा ।
6. निविदा प्रपत्र की प्रविष्टियों में उपरिलेखन एवं काट–पीट वर्जित है।
7. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाना चाहिये।
8. वार्ड बॉय (श्रमिक) को न्यूनतम 8वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। आयु 18 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से अधिक नही होगी। श्रमिकों के नाम पता मय फोटो के सत्यापित कर देना होगा।
9. वार्ड बॉय की संख्या में चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी की जा सकेगी।
10. निविदा की अवधि अनुबंध दिनांक से 03 वर्ष की होगी। कार्यआदेश प्रथमतः 01 वर्ष के लिए जारी किया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक होने पर क्रमश 01–01 वर्ष के लिए वृद्धि की जावेगी। वृद्धि के समय लागू कलेक्टर दर देय होगी।
11. वार्ड बॉय (श्रमिक) को 10 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टांप में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि इनके विरूद्ध किसी भी थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है और सजायाफता नही है यदि जानकारी गलत पायी जावेगी तो इसके लिए वार्ड बॉय स्वयं एवं निविदकार जबावदार होगा।
12. वार्ड बॉय (श्रमिक) का कार्य 24X7 तीन पालियों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 01 बजे, दोपहर 01 बजे से सायं 07 बजे तथा सायं 07 से प्रातः 07 बजे तक रहेगा। श्रमिकों को नीले रंग की शर्ट तथा ग्रे रंग का फुलपेंट युनिफार्म के रूप में पहनना होगा तथा सामने की जेब में नेम प्लेट तथा ड्रेस में संस्था का नाम छपा होना आवश्यक होगा। वर्दी तथा नेम प्लेट का व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। वर्दी हमेशा स्वच्छ रहेगी।
13. वार्ड बॉय (श्रमिक) को 24 घंटे 3 पालियों में रखना निविदाकार का दायित्व होगा। इस तरह जब और जहां भी आवशकता होगी उन्हे लगाया जावेगा तथा बताए अनुसार कार्य करना होगा। श्रमिकों द्वारा मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिकित्सालय परिसर में विभिन्न कार्यों के लिए लाना एवं ले जाना व मरीजों से संबंधित कार्यों में सहयोग देना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा मरीजों को भर्ती करते समय, जांच कराते समय स्ट्रेचर ट्राली/व्हीलचेयर में आवश्यकतानुसार ले जाना एवं लाना भी अनिवार्य होगा।
14. वार्ड बॉय (श्रमिक) द्वारा वार्ड में उपलब्ध पलंग बेडसाईड लाकर, स्ट्रेचर ट्राली/व्हीलचेयर, उपकरण एवं दीवार, दरवाजे, खिड़की इत्यादि की साफ सफाई करना अनिवार्य होगा। डाक्टर/सिस्टर के बताए अनुसार आक्सीजन सिलिण्डर, दवाईयां एवं अन्य सामग्री ले जाकर बताए अनुसार रखना एवं उनका रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकार को ठेका प्रारंभ करने के पूर्व समस्त श्रमिकों को हाउसकीपिंग तथा बायोमेडिकल/म्यूनिसिपल वेस्ट एवं अन्य कार्य करने का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर देना अनिवार्य होगा।
16. चिकित्सालय प्रबंधन को उपर दर्शाए कार्यों में चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार फेरबदल करने का अधिकार होगा।
17. निविदाकार को मजदूरी के भुगतान के संबंध में मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

18. ई.पी.एफ./ई.एस.आई एवं अन्य वैधानिक अंशदान नियमानुसार जमा करना निविदाकार की जबावदारी होगी। प्रथम माह के भुगतान में यदि यह पाया गया कि निविदाकार द्वारा ई.पी.एफ./ई. एस.आई एवं अन्य वैधानिक अंशदान नियमानुसार जमा नही किया जा रहा है तो अगला भुगतान रोक दिया जावेगा। निविदाकार को मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्मचारियों को कलेक्टर जिला रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन से काटी गई ई.पी.एफ./ई.एस.आई की राशि भारतीय स्टेट बैंक में चालान द्वारा जमा कराकर उसकी छायाप्रति ई.सी.आर. के साथ देयक प्रस्तुत करने पर ही आगामी देयक का भुगतान किया जावेगा।
19. निविदाकार को देय भुगतान से नियमानुसार आयकर की कटौती की जाकर ही भुगतान देय होगा। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सफल निविदाकार को कार्य व्यवस्था से सम्बधित 1000 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
20. निविदाकार को सभी श्रमिकों का किसी भी खतरे के लिए बीमा आदि स्वयं कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य संपादन करते समय श्रमिकों को आने वाली चोट या किसी दुर्घटना के लिए चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह का दावा स्वीकार नही किया जावेगा। इसके लिए निविदाकार उत्तरदायी होगा। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान/मुआवजा नही दिया जावेगा।
21. चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार कहीं भी दिन/रात्रि में ड्यूटी लगाई जा सकेगी। श्रमिकों को कर्तव्य स्थल में कार्यरत वार्ड इंचार्ज सिस्टर/डाक्टर्स के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
22. निविदाकार तथा उसके कर्मियों का कार्य व्यवहार संतोषप्रद न होने, भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनो से शिकायत प्राप्त होने अथवा किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लंघन करने पर निविदाकार के विरूद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित श्रमिक को हटाना, ठेका समाप्त करने, धरोहर राशि राजसात करने तथा निविदा डालने के अयोग्य घोषित करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा। संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को एक बार में अधिकतम रू. 10000.00 तक का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार होगा जो निविदाकार के देयक से काटा जावेगा।
23. निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।
24. यदि किसी कारणवश अथवा श्रमिकों के कार्य में न आने पर पूरे दिन अथवा किसी भी घंटे में कार्य नही किया जाता है तो उस दिन दिए जाने वाले भुगतान की कटौती की जावेगी तथा निविदाकार को पृथक से अर्थदण्ड भी लगाया जावेगा।
25. यह निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि उसके श्रमिकों द्वारा चिकित्सालय की किसी भी संपत्ति को क्षति न पहुंचे । क्षति होने पर निविदाकार की सुरक्षा निधि या देयक से राशि की क्षतिपूर्ति की जावेगी।
26. निविदा अवधि समाप्ति होने के बाद वैकल्पिक व्यवथा होने तक निविदाकार को अनुबंध की शर्तों एंव उसी दर पर कार्य संचालित करना होगा।
27. निविदाकार द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है अथवा बीच में ही कार्य बंद किया जाता है तो उसका ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा आगे निविदा डालने से अयोग्य कर दिया जावेगा।
28. कार्यस्थल पर निविदाकार तथा उसके कर्मचारी शराब अथवा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेंगे तथा उनका व्यवहार जनता, छात्रों, डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों के प्रति सौम्य एंव नम्रतापूर्वक होना चाहिए।

29. निविदाकार का व्यवहार संतोषजनक न होने पर या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदा अवधि समाप्ति होने के पूर्व ठेका समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
30. अनुबंध करने के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आदेश निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को रहेगा तथा कार्यादेश अन्य संस्था, द्वितीय निविदाकार (एल–02) को दिया जा सकेगा इस कारण होने वाली वित्तीय हानि को भी राजकीय हानि मानते हुये निरस्त निविदाकर्ता से वसूली की जावेगी।
31. आवश्यकता पडने पर विशेष परिस्थिति में अधीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश देने पर कार्य विशेष अवस्था में करना होगा।
32. निविदाकार द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर उच्च अधिकारियों की समिति द्वारा निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जावेगा।
33. किसी भी विवाद, व्यवधान अथवा लागू नियम व शर्तों को समझने में दुविधा की स्थिति में मित्रवत शालीन व्यवहार करते हुये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से उनके कार्यालय में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करना होगा चर्चा उपरांत पहुंचे समाधान को निविदाकार को मान्य करना होगा।
34. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकि.महा. रीवा के पास जनहित मे निविदा शर्तो मे परिर्वतन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
35. निविदाकार को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें मंजूर करनी होगी। जिन्हें पालन करने के लिये वह वैधानिक रूप से बाध्य है ।
36. वार्ड बॉय (श्रमिक) का भुगतान एकाउंट पेयी होगी। निविदाकार द्वारा लगाए गए वार्ड बॉय का पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कालेज शाखा में खाता खुलवाना होगा तथा देयक के साथ खाता क्रमांक दर्शाना होगा।
37. निविदाकार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक जो अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम होगा, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के कार्यालय में 03 प्रतियों में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। देयक के साथ उपस्थिति पंजी की प्रमाणित प्रति, वार्ड बॉय को किए गए भुगतान का विवरण ई.पी.एफ./ई.एस. आई. चालान एवं ई.सी.आर की सत्यापित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना देयक का सत्यापन नही किया जावेगा।
38. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

**संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**
**गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)**

**श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु (निविदाकार अपनें लेटरहेड में प्रस्तुत करें)**

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः– श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु निविदा बावत् ।

———0———

महोदय,

मेरे द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकार का पूरा नाम ............................................................................

2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं. ...................................................................

4. पिता का नाम ...................................................................

5. पत्राचार का पता ..................................................................

6. स्थायी पता ..............................................................................

7. ई–मेल/फैक्स नं.

8. बैंक का नाम/शाखा/खाता संख्या/आई.एफ.एस. कोड.....................................................................
..............................................................................................................................................

**हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता**

## <u>प्रपत्र – ए</u>

**(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफें पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)**

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

| क्रमांक | डी.डी क्रमांक/ दिनांक | बैंक का नाम | राशि | वैधता तिथि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....................................
निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम .........................................

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....................

## <u>तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– बी</u>

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

| स. क्र. | तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज | निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क्र. दर्शायें | | परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें। | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | हां | नही | हां | नही |
| 1. | धरोहर राशि रूपय 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो | | | | |
| 2. | मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित। | | | | |
| 3. | श्रम विभाग द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड बॉय (श्रमिक) संबंधी कार्य का उल्लेख हो। | | | | |
| 4. | कम से कम 100 बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय में 03 वर्ष वार्ड बॉय का कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति। अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु कार्य आदेश की सत्यापित प्रति लगाई जावे। | | | | |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (एसेसमेंन्ट ईयर 15–16 एवं 16–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति) | | | | |
| 6 | संस्था का वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 25.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2015–16) | | | | |
| 7. | नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ–पत्र। | | | | |
| 8. | 100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) | | | | |
| 10. | पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति। | | | | |
| 11. | ईपीएफ पंजीयन की छायाप्रति। | | | | |
| 12. | ई.एस.आई पंजीयन की छायाप्रति। | | | | |

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ..........................................................

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ................................................................

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ..........................................................

# गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों हेतु 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) ठेके पर रखने हेतु निविदा वर्ष 2016–17

## दर सूची (केवल आनलाइन भरी जावे)

| क्र | विवरण | दर अंको में | दर शब्दों में |
|---|---|---|---|
| 1. | 49 वार्ड बॉय (श्रमिक) के लिए मासिक दर (कलेक्टर दर अकुशल श्रेणी से कम नही) | | |
| 2. | ई.पी.एफ. 13.36 प्रतिशत<br>ई.एस.आई. 4.75 प्रतिशत | | |
| 3. | संस्था का व्यय | | |
| | कुल योग | | |

फर्म का नाम :–.................................................................................................................................................

प्रोपराइटर/पार्टनर्स का नाम (निविदाकर्ता):–..........................................................................................

पता :–..............................................................................................................................................................

फोन नं :–.........................................................मो.न............................................................................................

# घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

## (100/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. मेरी/हमारी संस्था के विरूद्व न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्व घोषित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर | निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम................................. संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.......... पता.............

.......................... पता..........................................................

2. गवाह का नाम.............................. संस्था का नाम एवं पता...........................पता ...

..................................... ........................................................